भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2135

20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी नीति"

2135. श्री एस. रामलिगंम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई नई अथवा अद्यतन नीति बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु राज्य में पहले से स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईवी के लिए बैटरी के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/पहल की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौते अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) देशभर में बेचे जाने वाले सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) **:** जी हां, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन स्कीमें तैयार की हैं:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम-इंडिया):** सरकार ने फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से प्रारंभिक तौर पर 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है।

फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में तत्काल रियायत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से संबद्ध है अर्थात् ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा जो वाहन लागत का अधिकतम 20% होगा। साथ ही, 11 जून

2021 से प्रोत्साहन/सब्सिडी को वाहन लागत के 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए ई-दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दी गई है।

ii. **ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम**: सरकार ने ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 15 सितंबर 2021 को अनुमोदित किया। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम**: सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख) **:** फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सहित 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं। इसके अलावा, फेम इंडिया स्कीम के चरण-I के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के किनारे भी 1576 चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी गई है। फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत संस्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों का राज्य-वार विवरण **संलग्नक** में है।

(ग) **:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों सहित अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 को प्रकाशित किया।

नियमावली में, बैटरी उत्पादकों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपशिष्ट बैटरियों के पुनर्चक्रण/नवीकरण हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, इस नियमावली में पुनर्चक्रकों के लिए अपशिष्ट बैटरियों से सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत पुनः प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया है।

(घ) **:** जी नहीं, इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसे किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ङ) : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन4 पोर्टल के मुताबिक़, दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 18 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं।

*****

संलग्नक

फेम इंडिया स्कीम का चरण-II:

- भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी है।

राज्य	**संस्वीकृत ईवी चार्जरों की संख्या**
महाराष्ट्र	317
आंध्र प्रदेश	266
तमिलनाडु	**281**
गुजरात	278
उत्तर प्रदेश	207
राजस्थान	205
कर्नाटक	172
मध्य प्रदेश	235
पश्चिम बंगाल	141
तेलंगाना	138
केरल	211
दिल्ली	72
चंडीगढ	70
हरियाणा	50
मेघालय	40
बिहार	37
सिक्किम	29
जम्मू और कश्मीर	25
छत्तीसगढ़	25
असम	20
ओडिशा	18
उत्तराखंड	10
पुदुचेरी	10
अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर)	10
हिमाचल प्रदेश	10
कुल	**2877**

- भारी उद्योग मंत्रालय ने **9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों** के लिए 1576 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी है। **विवरण निम्नानुसार है:**

क्र.सं.	**एक्सप्रेसवे**	**संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन**
1	मुंबई-पुणे	10
2	अहमदाबाद-वडोदरा	10
3	दिल्ली-आगरा यमुना	20
4	बेंगलुरु-मैसूरु	14
5	बेंगलुरु-चेन्नई	30
6	सूरत-मुंबई	30
7	आगरा-लखनऊ	40
8	ईस्टर्न पेरिफेरल (ए)	14
9	हैदराबाद ओआरआर	16
क्र.सं.	**राजमार्ग**	**संस्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन**
1	दिल्ली-श्रीनगर	80
2	दिल्ली-कोलकाता	160
3	आगरा-नागपुर	80
4	मेरठ से गंगोत्री धाम	44
5	मुंबई-दिल्ली	124
6	मुंबई-पणजी	60
7	मुंबई-नागपुर	70
8	मुंबई-बेंगलुरु	100
9	कोलकाता-भुवनेश्वर	44
10	कोलकाता-नागपुर	120
11	कोलकाता-गंगटोक	76
12	**चेन्नई-भुवनेश्वर**	**120**
13	**चेन्नई-त्रिवेंद्रम**	**74**
14	**चेन्नई-बेल्लारी**	**62**
15	**चेन्नई-नागपुर**	**114**
16	मंगलदाई-वाकरो	64
		1576

***